न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

जीसीएमएस नम्बर 2019/00127 निर्णय दिनांक: 10-1-2022
मुकदमा नंबर 61/2019

1.हडमानाराम पुत्र मूलाराम जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2.राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी मूण्डसर तहसील व जिला बीकानेर।
—वादीगण—

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ
2.करणीदान पुत्र गोरीशंकर जाति पारीक निवासी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
3.गोविन्द पुत्र भंवरलाल जाति पारीक निवासी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
4.वृद्धिचन्द पुत्र जेठमल जाति भंसाली निवासी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
5.किरणदेवी पत्नि बालाराम जाति ब्राह्मण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ
—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से
3. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 ता 5

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट</u>

यह वाद वादीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण संख्या 1 हडमानाराम के नाम से खातेदारी खेत खसरा नंबर 613/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर व वादीगण संख्या 2 के नाम से खेत खसरा नंबर 615/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर व वादीगण के नाम के नाम से सयुक्त खातेदारी का खेत नंबर 599/584 तादादी 0.2900 हैक्टेयर रोही सालासर मे स्थित है उक्त खेत वादीगण ने खसरा नंबर 613/532 व 615/532 को मूल खातेदारी रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2009 को क्रय की थी। एवं खसरा नंबर 599/584 को मूल खातेदारी किरणदेवी पत्नि बालाराम जाति ब्राह्मण निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2009 को क्रय की थी। यह है कि वादगत खेतो का कब्जा काश्त वादीगण ने विक्रय पत्र मे दर्शाये ही मौके पर कायम है उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कायम है एवं सीमा कायम कर रखी है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी। एवं खसरा नंबर 599/584 की तादादी 0.3100 हैक्टेयर के बजाय 0.2900 हैक्टेयर दर्ज कर दी एवं वादीगण के कब्जा काश्त के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के खसरा नंबर 533/125 व खसरा नंबर 600/584 मी तरमीम कर दी जबकि मौके पर खसरा नंबर 613/532, 615/532 मौके पर उतरी तरफ एवं खसरा नंबर 533/125 मौके पर दक्षिणी स्थित है तथा खसरा नंबर तथा खसरा नंबर 599/584 मौके पर पूर्वी तरफ स्थित है जो विक्रय पत्रो मे दर्शाये मौके कब्जे के अनुसार ही है एवं मौके पर खसरा नंबर 613/532 की [illegible] 2250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 615/532 की तादादी 0.2250 हैक्टेयर [illegible] 584 की तादादी 0.3100 हैक्टेयर है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के बिल्कुल विपरीत है [illegible] खेतो के राजस्व नक्शो मे राजस्व कर्मचारियो ने वादगत खेतो की तरमीम कर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:27 IST
Reason: SelfAttested

(Divya)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादीगण के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी एवं खसरा नंबर नंबर 599/584 की तादादी 0.2900 हैक्टेयर दर्ज कर दी जबकि वादगत खेत मे की तरमीम मौके पर खसरा नंबर 599/584 तादादी 0.2900 हैक्टेयर दर्ज है एवं खसरा नंबर 613/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर खसरा नंबर 615/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर मौके पर एक ही स्थान पर खसरा नंबर 533/125 के उतरी तरफ एवं खसरा नंबर 600/584 के पूर्वी तरफ है उसी अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित है एवं मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत राजस्व नक्शा मे मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है एवं खसरा नंबर 599/584 की तादादी 0.3100 हैक्टेयर के बजाय 0.2900 हैक्टेयर दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौका जांच किये वादगत खेतो की तरमीम मौके के विपरीत कर दी एवं तादादी 0.0200 हैक्टेयर कम दर्ज कर दी जिसको वादीगण मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 26.06.2019 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादीगण के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज एवं खसरा नंबर 599/584 की तादादी 0.2900 हैक्टेयर दर्ज है जिसको वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादीगण की इनकारी से वादीगण को वाद हेतु हासिल है। वादीगण के खरीद के समय वादगत खेतो की सीमाओ की तरमीम नही थी। वादीगण ने वादगत भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 से खरीद की थी। खरीद के समय निष्पादित विक्रय पत्र मे खसरा नंबर 532/125 तादादी 0.5500 हैक्टेयर मे से वादीगण को बेची जा रही भूमि मे उतर मे खसरा नंबर 118 दक्षिण मे खसरा नंबर 532/125 पूर्व मे सडक बीदासर रोड पश्चिम मे खसरा नंबर 119 अंकित है एवं इसी खसरा नंबर 119 तादादी 6.8200 हैक्टेयर मेसे 0.3100 हैक्टेयर के आसे पासे मे उतर मे खसरा नंबर 118 दक्षिण मे खसरा नंबर 119 की भूमि पश्चिम मे खसरा नंबर 119 की भूमि पूर्व मे खसरा नंबर 532/125 अंकित है विक्रय पत्रो मे दर्ज आसे पासे एवं तादादी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे मे दर्ज होना था लेकिन नवीन राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है एवं तादादी 0.02 हैक्टेयर कम है जिसको राजस्व रिकार्ड मे मौके कब्जे काश्त एवं विक्रय पत्रो के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। वादीगण के खेतों के राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों विपरीत होने एवं तादादी 0.02 हैक्टेयर कम होने से वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादीगण की भूमि रोही सालासर मे अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर निवदेन किया है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमान की कृपा करेः—

(क) कि रोही सालासर के वादगत खेत खसरा नंबर 613/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 615/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 599/584 तादादी 0.2900 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार एवं खसरा नंबर 615/532 तादादी 0.2900 हैक्टेयर की तादादी 0.3100 हैक्टैयर घोषित की जावें ।

(ख) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही सालासर के वादगत खेत खसरा नंबर 613/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर खसरा नंबर 615/532 तादादी 0.2250 हैक्टैयर खसरा नंबर 599/584 तादादी 0.2900 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार एवं खसरा नंबर 615/532 तादादी 0.2900 हैक्टैयर की तादादी 0.3100 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज र[illegible]गणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पै[illegible] पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की तलबी अखबार [illegible] गई, परन्तु प्रतिवादीगण संख्या

Divya

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

2 ता 5 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम सालासर के खेत खसरा नंबर 613/532 तादादी 0.2250 हैक्टेयर खसरा नम्बर 614/532 खसरा नम्बर 615/532 तादादी 0.2250 हैक्टैयर खसरा नंबर 599/584 तादादी 0.2900 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार एवं खसरा नंबर 599/584 तादादी 0.2900 हैक्टैयर की तादादी 0.3100 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालाना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:27 IST
Reason: SelfAttested